NRrhlx< 'kklu
foRr foHkkx

izsl foKfIr fnukad 08-02-2014

ctV 2014&15

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, डॉ. रमन सिंह जो कि वित्त मंत्री भी हैं, ने आज वित्तीय **o"kZ 2014&15 ds fy;s 54]710 djksM+ dk ctV vuqeku izLrqr fd;kA** डॉ. रमन सिंह ने कहा, कि **iwoZ o"kksZa dh Hkkafr le) fdlku] Hkw[k rFkk dqiks"k.k ls eqfDr] LoLFk NRrhlx<] 0;fDr esa 'kfDr] l'kDr ukjh rFkk lokZgkjk oxZ dk dY;k.k ctV dh eq[; izkFkfedrk,a gSaA bu y{;ksa dks ikjn'khZ] tuksUeq[kh vkSj tokcnsg iz'kklu ds ek/;e ls iklr fd;k tk,xkA** इस बजट में कोई नया कर नहीं लगाया गया है। निरन्तर आर्थिक मंदी के कारण संकट से गुजर रहे छत्तीसगढ़ के उद्योग, विशेषकर लघु एवं मध्यम स्टील उद्योग को मंदी से उबारने के लिए करों में रियायतें प्रस्तावित की गई हैं।

2- <u>ctV ,d utj esa</u>

¼jkf'k djksM+ esa½

Ø-	en	2013&14 ¼iqujhf{kr vuqeku½	2014&15 ¼ctV vuqeku½	izfr'kr o`f)
1-	कुल आय	**44]234**	**54]661**	14
2-	कुल व्यय	**44]382**	**54]710**	**23**
3-	बजटीय घाटा	1,915	1,964	3
	अ. चालू वर्ष का घाटा	148	49	–67
	ब. पूर्व वर्षो का घाटा	1,767	1,915	8
4-	सकल वित्तीय घाटा	**5]103**	**5]761**	

3. भारत सरकार द्वारा **"jaxjktu desVh"** की अनुशंसा को मान्य करते हुए आगामी वर्ष से केन्द्रीय योजनाओं की केन्द्रांश राशि राज्य बजट के माध्यम से क्रियान्वयन एजेंसी को प्रदान करने का निर्णय लिया है। **bl vk/kkj ij o"kZ 2014&15 ds ctV esa ,slh ;kstukvksa dk dsUnzka'k ckcr yxHkx 6]000 djksM+ lfEefyr fd;k x;k gSA blls ctV ds vkdkj esa mYys[kuh; o`f) ifjyf{kr gks jgh gSA** पूर्व वर्षो में यह केन्द्रांश राशि राज्य बजट में सम्मिलित नहीं होती थी।

4. राज्य के कर राजस्व में 15 प्रतिशत तथा करेत्तर राजस्व में 6 प्रतिशत की वृद्धि के साथ राज्य के स्वयं के राजस्व में 12 प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित है। **jktLo vkf/kD; vFkkZr jktLo vk; rFkk jktLo 0;; dk varj] 2]464 djksM+ gSA bldk mi;ksx ctV esa lfEefyr iwathxr 0;; ds fy;s fd;k tk,xkA**

5. o"k 2013&14 d i|ujhf{kr vu|eku dh r|yuk e bl ctV e iko/kkfur dy 0;; 23 ifr'kr vf/kd gA ctV e **ldy foRrh; ?kkVk** ¼_.k ikflr dk NkM+dj jkT; dh ldy vk; ,o ldy 0;; dk vrj½ 5]761 djkM vu|ekfur fd;k x;k g] ftldh ifr vko';drku|lkj _.k ydj dh tk,xhA lkekftd {k= ,o fodklkRed 0;; d fy, lefpr iko/kku dju d ckotn foRrh; ?kkVk **NRrhlx< jktdk"kh; mRrjnkf;Ro ,o ctV icU/ku vf/kfu;e** e fu/kkfjr lhek] ldy ?kj|y mRikn d 3 ifr'kr d vu|:i gA ,lk jkT; d Lo;a d dj jktLo e of) rFkk xj fodklkRed 0;; ij fu;=.k d QyLo:i lHko gk ldk gA o"k 2013&14 dh r|yuk e vkxkeh o"k e dj ,o ldy ?kj|y mRikn dk vu|ikr 8.92 ifr'kr l c<dj 9.30 jgu dh lHkkouk gA

6. vk;kstuk 0;; ¼Plan Expenditure½ 35]322 djkM g] tk fd dy 0;; dk 65 ifr'kr gA vk;kstuk 0;; e] **vu|lfpr tutkfr mi;kstuk** d fy;s 36 ifr'kr ,o **vu|lfpr tkfr mi;kstuk** gr| 12 ifr'kr iko/kku gA

7. पूंजीगत व्यय (capital expenditure) मद में 8,347 करोड़ का प्रावधान है, जो कि गत वर्ष के पुनरीक्षित अनुमान की तुलना में 39 प्रतिशत अधिक है एवं कुल व्यय का 15 प्रतिशत है।

8. बजट में सामाजिक क्षेत्र के लिए व्यय 20,851 करोड़ (39 प्रतिशत) तथा विकासमूलक व्यय 44,915 करोड़ (84 प्रतिशत) है।

ctV dh e|[; fo'k"krk,¡ %&

[kk| l|j{kk

- खाद्य तथा पोषण सुरक्षा अधिनियम के क्रियान्वयन हेतु मुख्यमंत्री खाद्यान्न सुरक्षा योजना अंतर्गत प्रदेश के 85 प्रतिशत परिवारों को 1 रुपए प्रति किलो की दर से खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा। इस हेतु 3,900 करोड़ का प्रावधान है।

d`f"k fodkl

- d`f"k rFkk d`f"k lc) {k=k d fy, 8]459 djkM :i, dk iko/kku fd;k x;k g] ftle d`f"k rFkk m|kfudh d fy, 4]102 djkM] i'k|ikyu d fy, 422 djkM] lgdkfjrk d fy, 288 djkM] flpkbZ {kerk d fy, 1987 djkM] d`f"k iik d fy, 458 djkM 'kkfey gA
- वर्ष 2013 खरीफ में उपार्जित धान पर किसानों को 300 रूपए प्रति क्विंटल की दर से प्रोत्साहन राशि प्रदान करने के लिए 2400 करोड़
- कृषकों को ''ब्याजमुक्त'' कृषि ऋण हेतु 140 करोड़
- अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्र में परम्परागत फसल कोदो, कुटकी तथा रागी हेतु बीज अनुदान योजना
- मॉडिफाईड फसल बीमा योजना हेतु 50 करोड़

- गौ–पालन हेतु 1 प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण

flpkbZ

- अरपा भैंसाझार वृहद परियोजना हेतु 100 करोड़।
- महानदी परियोजना समूह के नहर की रिमॉडलिंग एवं लाईनिंग हेतु 110 करोड़।

Åtk

- 20 हजार विद्युत पंप ऊर्जीकरण के लिए 148 करोड़
- पंपों को निःशुल्क विद्युत प्रदाय योजना के लिए 300 करोड़ ।

lkekftd {ks= ij O;;

- **lkekftd {ks= dk fy;s dqy 20]851 djksM+ iko/kku fd;k x;k gSA** स्कूल शिक्षा के लिये 12 प्रतिशत, अनुसूचित जाति एवं जनजाति विकास के लिये 8 प्रतिशत, स्वास्थ्य के लिये 5 प्रतिशत एवं महिला एवं बाल विकास के लिये 3 प्रतिशत राशि रखी गई है।

f'k{kk

- **'kkldh; egkfo|ky; esa v/;;ujr Nk=kvksa dks Lukrd Lrj rd fu%'kqYd f'k{kkA**
- **;qokvksa dks rduhdh ,oa x`g rduhdh O;olk;ksa esa izf'kf{k.k grq lHkh 27 ftyksa esa vkoklh; **ykboyhgqM** dsUnz LFkkiuk gsrq** 69 करोड़
- 10 नवीन स्थान क्रमशः दंतेवाड़ा, मैनपाट, ओड़गी, खडगवां, पेंड्रा, लोरमी, नारी, सिमगा, छुरिया तथा जैजेपुर में नवीन आई.टी.आई. स्थापना।
- **vkxkeh f'k{kk l= ls eq[;ea=h mPp f'k{kk _.k vuqnku ;kstuk vUrxZr C;kt nj 4 izfr'kr ls ?kVkdj 1 izfr'kr rFkk uDly izHkkfor ftyksa ds Nk=ksa dks C;kt eqDr _.k miyC/k djk;k tk,xkA**

vuqlwfpr tkfr ,oa tutkfr dY;k.k

- अनुसूचित जाति तथा जनजाति छात्रावासों एवं आश्रमों में 3,000 सीट वृद्धि।
- 34 कन्या छात्रावास के भवन निर्माण हेतु 3.5 करोड़ ।
- बिलासपुर एवं दुर्ग संभाग मुख्यालय में ''प्रयास'' विद्यालय स्थापना
- **O;kolkf;d ijh{kk e.My }kjk vk;ksftr ijh{kkvksa esa 40 izfr'kr fj;k;r**

LokLF;

- बजट में 25 नये उप–स्वास्थ्य केन्द्र तथा 10 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना।
- मेडिकेटेड मच्छरदानी वितरण हेतु 10 करोड़ का प्रावधान।

efgyk ,o cky fodkl

- **o"k 2014&15 l jkT; e **ukuh lj{kk** ;ktuk ikjEHk dh tk,xhA ;ktukrxr ch-ih-,y- ifjokj e tUe yu okyh ckfydkvk d uke ij ifr o"k 5]000 #i, d eku l dy 25]000 dh jkf'k tek dh tk,xhA ckfydkvk d o;Ld gku ij mUg 1 yk[k #i, ifjiDork jkf'k d :i e inku dh tk,xhA ctV e 40 djkM dk iko/kku fd;k x;k gA**
- किशोरी बालिकाओं के पोषण स्तर में सुधार लाने के उद्देश्य से प्रदेश के 17 जिलों में राज्य के स्वयं के संसाधन से ****lcyk** dk;Øe lpkfyr dju grq 30 djkM dk iko/kkuA**

lekt dY;k.k

- ''सुखद सहारा पेंशन'' एवं ''सामाजिक सुरक्षा पेंशन'' योजना में मिलने वाली पेंशन 200 रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 300 रुपये प्रतिमाह की जाएगी। बजट में 90 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान।
- **fu%'kDrtuk dk lekt dh e[;/kkjk e tkMu d mnn'; l ^^fu%'kDrtu lcy ;ktuk^^ lpkfyr dh tk,xhA**

xkeh.k fodkl

- खेतिहर मजदूरों के लिए ****vVy [kfrgj etnj chek ;ktuk** A**
- ''मुख्यमंत्री ग्राम सड़क'' योजना के अंतर्गत 400 करोड़ ।
- ''मुख्यमंत्री ग्राम गौरव पथ'' योजना हेतु 350 करोड़ ।
- मुख्यमंत्री समग्र ग्रामीण विकास योजना हेतु 300 करोड़।

ykd fuekZ.k

- अपूर्ण सड़क एवं पुल हेतु 1,400 करोड़।
- प्रदेश के 7 राज्य मार्गों, 40 मुख्य जिला मार्गों तथा 116 अन्य जिला एवं ग्रामीण मार्गों के उन्नयन हेतु 168 करोड।
- एशियन विकास बैंक की सहायता से द्वितीय चरण में 917 किलोमीटर लंबाई के मार्गों के उन्नयन के लिए 300 करोड़ ।

ou

- **etnjh Hkxrku e ikjnf'krk lfuf'pr dju d mnn'; l tgk ij cd dh 'kk[kk; miyC/k g] ogk etnjh dh jkf'k mud cd [kkrk e tek dh tk,xhA**
- राज्य के तेंदूपत्ता संग्राहक परिवारों को चरण पादुका वितरण हेतु 19 करोड़ का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त प्रचलित जनश्री बीमा योजनांतर्गत बीमा राशि में वृद्धि बाबत् 5 करोड़ का प्रावधान।

Jfed dY;k.k

- असंगठित कर्मकार मंडल की तर्ज पर ''सफाई कर्मकार मंडल'' एवं ''ठेका मजदूर, घरेलू कामगार एवं हम्माल कर्मकार कल्याण मंडल'' का गठन किया जाएगा।

;qok dY;k.k

- रायपुर एवं बिलासपुर में यूथ हॉस्टल का निर्माण किया जाएगा।
- निःशुल्क लेपटॉप एवं टेबलेट प्रदाय योजना के लिए 80 करोड़ ।

laLd`fr

- **jkT; esa yksd dyk laxhr vdkneh dh LFkkiuk dh tk,xhA**
- **jkT; esa vfHkys[kkxkj dh LFkkiuk dh tk,xhA**

dj iLrko

dkbl u;k dj iLrkfor ughA

निरंतर आर्थिक मंदी के कारण छत्तीसगढ़ के उद्योग, विशेषकर लघु एवं मध्यम स्टील उद्योग आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं। इन्हें मंदी से उबारने तथा पुनर्जीवित करने के लिये करों में निम्नानुसार रियायतें एवं युक्तियुक्तकरण किए गये हैं –

LFkkuh; m|ksxks dks fy;s jkgr %&

- लघु एवं मध्यम स्टील उद्योगों को प्रतिस्पर्द्धात्मक बनाने के लिये उनके द्वारा निर्मित उत्पाद पर प्रचलित केन्द्रीय विक्रयकर की दर **2 ifr'kr ls ?kVkdj 1 ifr'kr** की जायेगी।

- लघु एवं मध्यम स्टील उद्योगों को कच्चे माल की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिये **ikr dks ckgj ls vk;kfrr ^^vk;ju vkj iSyV^^ rFkk ^^fcyIV^^ ij iapfyr iols'kdj Øe'k% 0-5 ifr'kr ,oa 1 ifr'kr lekIr fd;k tk;sxkA**

- स्थानीय उद्योगों द्वारा निर्मित साईकिल एवं साईकिल पार्ट्स पर वेट की प्रचलित दर **5 ifr'kr ls ?kVkdj 2 ifr'kr** की जायेगी।

- भिलाई इस्पात संयत्र द्वारा आयातित **^^dkfdx dky^^** पर देय प्रवेशकर की दर में युक्तियुक्तकरण किया जायेगा। प्रचलित प्रवेश कर की दर **6 ifr'kr** को घटाकर **1 ifr'kr fd;k tk;sxkA**

- बाक्साईट पर प्रचलित प्रवेश कर की दर में युक्तियुक्तकरण करते हुये **3 ifr'kr dks ?kVkdj 1 ifr'kr fd;k tk;sxkA**

- बीमार एवं बंद पड़ी औद्योगिक ईकाइयाँ पुनर्जीवित हो सके, इसके लिये ऐसी ईकाइयों के क्रय करने पर प्रचलित **5 ifr'kr LVkEi 'kqYd** समाप्त किया जायेगा।

- लकड़ी के विकल्प के रूप में उपयोग होने वाले यू.पी.व्ही.सी. से निर्मित दरवाजें एवं खिड़कियों को प्रोत्साहित करने के उद्दे य से प्रचलित **oSV nj 14 ifr"kr ls ?kVkdj 5 ifr'kr dh tk;sxhA**

- स्थानीय सोयाबीन आधारित उद्योगों को प्रतिस्पर्द्धात्मक बनाने के उद्देश्य से उनके द्वारा कच्चे माल के रूप में क्रय किये जाने वाले सोयाबीन पर प्रचलित वेट **nj 5 ifr'kr dks lekIr fd;k tk;sxkA**

dVhj m|kxk dk jkgr :–

- राज्य में विभिन्न स्व–सहायता समूहों द्वारा संचालित कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से **budk }kjk fufer mRiknk dk oV l eDr fd;k tk;xkA**
- ट्रैक्टर–ट्रॉली पर, प्रचलित वेट की दर **5 ifr'kr lekIr fd;k tkdj bl djeDRk fd;k tk;xkA**

NkV 0;olkb;k dk jkgr :–

- **0;olkb;k e Lo&lR;kiu ,o LofPNd vuikyu dh iofRr dk c<kok nu d mnn'; l uohu ith;u tkjh dju l io foHkkxh; vf/kdkfj;k }kjk 0;olk; LFky fujh{k.k dh vfuok;rk dk 1 tuojh] 2014 l lekIr fd;k x;k gA**

- वर्तमान व्यवस्था में अनेक व्यवसायी ऐसे हैं, जिन पर किसी अधिनियम के अंतर्गत कोई कर दायित्व नहीं आता है। इसे ध्यान में रखते हुये विशुद्ध रूप से करमुक्त माल में व्यवसाय करने वाले व्यवसाइयों को वेट अधिनियम के तहत पंजीयन प्रक्रिया एवं विभागीय परिधि से मुक्त किया जाएगा।

- प्रदेश के भीतर क्रय–विक्रय करने वाले छोटे व्यवसायी, जिनकी सकल वार्शिक विक्रय सीमा 10 लाख तक है, को वेट पंजीयन से मुक्त रखा गया है। **okf"kd foØ; dh ;g lhek o'k 2006 e fu/kkfjr dh xbZ Fkh] vc bl c<k;k tkdj #i, 20 yk[k fd;k tk;xkA**

उपर्युक्त दोनों सरलीकरण से लगभग **20 gtkj NkV 0;olk;h foHkkxh; ifjf/k l eDr gkxA**

djk e ;fDr;Drj.k d iLrko :–

- प्रदेश में संचार व्यवस्था एवं दुर्गम इलाकों में संचार सुविधा के विस्तार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से टेलीकम्युनिकेशन कंपनियों द्वारा देय प्रवेश कर **4 ifr'kr l ?kVkdj 1 ifr'kr fd;k tk;xkA**

enkd ,o ith;u 'kYd :–

- राज्य में स्थित **Hkfe rFkk Hkou dh vnykcnyh ¼,Dlpt½** पर स्टाम्प शुल्क की दर संपत्ति के बड़े भाग के बाजार मूल्य का 5 प्रतिशत है। इसमें परिवर्तन कर समान मूल्य होने की स्थिति में **LVkEi dh nj l NV ikIr gkxh** एवं अंतर की अधिक राशि पर ही स्टाम्प शुल्क 5 प्रतिशत की दर से देय होगा।

ctV ,d utj esa

l-Ø-	en	jkf'k ¼djksM+ esa½
1	कुल आय * (केन्द्रीय योजनाओं बाबत् केन्द्रांश)	54,661 (8,824)
2	कुल व्यय	54,710
3	सकल वित्तीय घाटा	5,761 (3 प्रतिशत)

{ks=okj 0;;

1	आयोजना व्यय	35,322 (65 प्रतिशत)
2	पूंजीगत व्यय	8,347 (15 प्रतिशत)
3	अनुसूचित जनजाति उपयोजना व्यय	36 प्रतिशत
4	अनुसूचित जाति उपयोजना व्यय	12 प्रतिशत
5	सामाजिक क्षेत्र में व्यय का प्रावधान	39 प्रतिशत
6	विकासात्मक व्यय (सकल घरेलू उत्पाद के रूप में)	23 प्रतिशत

lkekftd {ks= ij 0;; dk fooj.k

स्कूल शिक्षा	12 प्रतिशत
अनुसूचित जाति एवं जनजाति विकास	8 प्रतिशत
स्वास्थ्य	5 प्रतिशत
महिला एवं बाल विकास	3 प्रतिशत

vkfFkd {ks= ij 0;; dk fooj.k

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति	8 प्रतिशत
ग्रामीण विकास	14 प्रतिशत
लोक निर्माण	7 प्रतिशत
सिंचाई	4 प्रतिशत

?kk"k.kkvk dh ifr d fy, ctV 2014&15 e fd, x, iko/kku

Ø-	?kk"k.kk,	iko/kku
1	धान बोनस पर 300 रूपए प्रति क्विंटल बोनस अगले 5 सालों तक।	2400 करोड़।
2	कृषकों को ब्याज मुक्त कृषि ऋण।	140 करोड़।
3	1 रूपया किलों में चांवल।	3200 करोड़ का प्रावधान।
4	खेतिहर मजदूरों का शतप्रतिशत बीमा।	अटल खेतिहर मजदूर बीमा योजना 25 दिसंबर, 2013 से लागू।
5	प्रदेश में नोनी सुरक्षा योजना प्रारंभ की जाएगी।	नोनी सुरक्षा योजना प्रारंभ की जाएगी। 40 करोड़ का प्रावधान।
6	उच्च शिक्षा हेतु छात्रों को 1 प्रतिशत पर ऋण।	मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा ब्याज अनुदान योजना के अंतर्गत ब्याज दर 4 प्रतिशत से घटाकर 1 प्रतिशत तथा नक्सल प्रभावित जिलों में ब्याज मुक्त ऋण।
7	मध्यान्ह भोजन गणवेश वितरण एवं रेडी–टू–इट कार्यक्रम का संचालन पूरी तरह महिला स्वयं सहायता समूहों के द्वारा।	आगामी वित्तीय वर्ष से शतप्रतिशत संचालन महिला समूहों के द्वारा किया जाएगा।
8	निराश्रित/वृद्धावस्था पेंशन योजना की राशि को दुगुना किया जाएगा।	सुखद सहारा एवं समाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में प्रतिमाह 100 रूपए की वृद्धि। 90 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान।
9	सभी गांवो को पक्की सड़क से जोड़ना।	मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 400 करोड़ का प्रावधान।
10	गांव की गलियों का कांक्रीटीकरण एवं नाली निर्माण।	मुख्यमंत्री ग्राम गौरव पथ योजना अंतर्गत 350 करोड़ का प्रावधान।
11	गांवों का आंतरिक विद्युतीकरण।	1 करोड़ का प्रावधान।

_.kk dh fLFkfr

foRrh; ladsrd	,DV ds vuqlkj lhek	2014&15 ctV vuqeku
राजस्व घाटा	शून्य	2]464 (राजस्व आधिक्य)
वित्तीय घाटा	सकल घरेलू उत्पाद के 3 प्रतिशत	3.0 प्रतिशत
dqy _.k Hkkj (सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में)	**23-90 izfr'kr**	**15-53 izfr'kr**

- **31 fnlEcj] 2013 dh fLFkfr esa dqy _.k Hkkj ¼22]000 djksM+½ ldy ?kjsyw mRikn dk 12-53 izfr'kr gS] vFkkZr~ vHkh Hkh fu/kkZfjr lhek 24 izfr'kr dk vk/kk gSA**

vkfFkd fodkl nj

आर्थिक सर्वेक्षण (2013–14) – अग्रिम अनुमान (स्थिर भावों 2004–05 पर)

	NRrhlx<	**Hkkjr**
आर्थिक विकास दर	7.05 प्रतिशत	4.9
कृषि विकास दर	2.62 प्रतिशत (वर्ष 2012–13 = 8.9 **2 o"kk dk vkl r = 5-8 ifr'kr**)	4.6 (वर्ष 2012–13 = 1.4 **2 o"kk dk vkl r= 3 ifr'kr**)
उद्योग विकास दर	6.07 प्रतिशत	0.7
सेवा विकास दर	10.18 प्रतिशत	6.9
प्रति व्यक्ति आय (प्रचलित भाव पर)	Rs. 56,990 (12.42% वृद्धि)	

Hkkjrh; fjtoZ cSad }kjk jkT;ksa dh vkfFkZd fLFkfr dk v/;;u izfrosnu 2013&14

NRrhlx<+ dk foRrh; izca/ku lcls csgrj

lalk/ku dk mi;ksx :–

foRrh; lwpdkad	NRrhlx<+	lHkh jkT;ksa dk vkSlr	vU; jkT;ksa dh fLFkfr
fodklewyd O;; (जी.एस.डी.पी. के प्रतिशत के रूप में)	20.7 ¼izFke½	11.4	बिहार (16.8) मध्य प्रदेश (15.7) झारखंड (14.7)
lkekftd {ks= ij O;; (जी.एस.डी.पी. के प्रतिशत के रूप में)	14.0 ¼izFke½	7.3	बिहार (11.3) मध्य प्रदेश (9.7) उत्तर प्रदेश (9.7) झारखंड (9.2)
iwathxr O;; (जी.एस.डी.पी. के प्रतिशत के रूप में)	4.2 ¼f}rh;½	2.5	गोवा (4.5) बिहार (3.9) उत्तर प्रदेश (3.8)

jktLo mxkgh :–

foRrh; lwpdkad	NRrhlx<+	lHkh jkT;ksa dk vkSlr	vU; jkT;ksa dh fLFkfr
dj jktLo (जी.एस.डी.पी. के प्रतिशत के रूप में)	8.9 (अग्रणी पांच राज्यों में)	7.8	कर्नाटक (10.3) तमिलनाडु (9.9) पंजाब (9.3) केरल (9.2)
xSj dj jktLo (जी.एस.डी.पी. के प्रतिशत के रूप में)	3.5 (द्वितीय)	1.2	गोवा (4.5) राजस्थान (2.4) उड़ीसा (2.3)

_.k dh fLFkfr :–

foRrh; lwpdkad	NRrhlx<+	lHkh jkT;ksa dk vkSlr	vU; jkT;ksa dh fLFkfr
dqy _.k Hkkj (जी.एस.डी.पी. के प्रतिशत के रूप में)	12.5 ¼U;wure½	24.4	उड़ीसा (18.5) हरियाणा (18.6) महाराष्ट्र (19.7)
C;kt Hkqxrku (जी.एस.डी.पी. के प्रतिशत के रूप में)	0.7 ¼U;wure½	1.7	झारखंड (1.3) कर्नाटक (1.4) महाराष्ट्र (1.4)
ldy foRrh; ?kkVk (जी.एस.डी.पी. के प्रतिशत के रूप में) (विगत 3 वर्षों का औसत)	1.0 ¼f}rh; lcls de½	2.4	उड़ीसा (0.4) राजस्थान (1.5) महाराष्ट्र (1.6)